पत्रावली पेश हुई / पत्रावली [illegible]
हेतु दिनांक 23/8/19 को पेश हो /

26/8/19 23/8/19 का राजकीय अवकाश घोषित होने के कारण आज मिसल पेशी में ली गई / पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 18/9/19 को पेश हो /

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित करा रखा है। सी. ओ. साहब दौरे पर है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु 3/10/19 को पेश हो

18/9/19

3/10/19 पत्रावली पेश हुई / अप्रार्थी सं. 1, 4 को विधिवत तामील होने पर भी उपस्थित नहीं / अतः 1, 4 ~~के एकपक्ष~~ के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है / पत्रावली ~~वास्ते~~ में राज पैरोकार ने कथन किया है कि पत्रावली में राज हित निहित नहीं है / पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 4/10/19 को पेश हो /

प्रस्तुत प्रकरण में राजहित निहित नहीं है
3.X.19

4/10/19 पत्रावली प्रस्तुत / वकील प्रार्थी व पैरोकार राज उपस्थित / वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए बहस सुनी गयी /

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा नं. 1023/611, खसरा नं. 1025/611, खसरा नं. 1026/152, खसरा नं. 1028/410, खसरा नं. 1030/607, खसरा नं. 396 वाले रोही जोगलिया, तहसील खुजानगढ़ (चूरू) में स्थित थी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 अपने संयुक्त परिवार के गत 26 वर्ष पूर्व अलग हुये तब प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3

ने वादग्रस्त खेतों का मौखिक विभाजन कर प्रार्थी के हिस्से में वर्तमान खसरा नं. 396 मिन पश्चिमी तरफ की 3.5400 है. व खसरा नं. 1025/611 मिन दक्षिणी तरफ की 1.6400 है व खसरा नं. 1026/152 मिन पूर्वी तरफ की 0.0861 है. आई जिल्ले, प्रार्थी अरेतन काश्त करता आ रहा है तथा वर्तमान में भी प्रार्थी के कब्जा, काश्त, उपभोग में चली आ रही है प्रार्थी वादग्रस्त खेतों का सह खातेदार है तथा वादग्रस्त खेत उसके कब्जा काश्त में होने से प्रार्थना पत्र का आधार प्राप्त है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की एलानिया धमकियां दिनांक 3.6.19 से प्रार्थना पत्र का आधार प्राप्त है प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को हो रही है। अतः मुताबिक by meets and bounds के आधार पर विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादग्रस्त भूमि के किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन बैय आदि नहीं करने एवं जबरन कब्जापूर्वक बेदखल नहीं करने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 18/7/19 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विधिवत तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 3/10/19 को अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अमल में लायी गयी। पैरोकार राज ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रकरण में राजहित निहित नहीं है।

वकील उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। यदि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त खेतों को किसी अन्य के विक्रय, हस्तान्तरण कर देंगे तो काश्ती पेचिदगियां पैदा होगी। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजहित निहित नहीं है।

वकील उभय पक्ष की बहस को मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार है। प्रार्थी ने बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि में उसका निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होगी। दाखिल दफ्तर हो।

रही

4/10/19